

फर्द अहकाम

रामगोपाल बनाम हीरा देवी वॉर

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमशारागढ़, जयपुर
केस संख्या 122/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/11/22	<p>ग्रह कार्यना पत्र जारी स्वयं ने पेश किया। जारी को अन्तरिम पर एक तरफा खुला गया। पत्रावली में संलग्न दाताकेजाल का आवलोकन करने तथा मनन करने पर उकरण प्रथम दृष्टया सुझाव एवं सुविधा का समुलन जारी के पक्ष में उतीत होता है। अतः अपापीगणों को जरिये अन्तरिम आस्थाई निजेस्थाया से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि यदि स्वसत नम्बर 76, 124, 125 वीके ग्राम कानडियावाला में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे, उपभोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, किसी प्रकार का कच्चापकका निर्माण नहीं करे तथा बेचान नहीं करे, वीके व राजस्व रिकार्ड की प्रथाधिति बनाये रखे। कार्यना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नोहित अपापीगणों को जारी होकर तलकी रजि डक से कवाई जाकर पत्रावली दिनांक 05/01/23 को पेश हो।</p>	
	5/11/23	<p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जमशारागढ़</p> <p>पत्रावली पेश हुई। <u>जारी 30/11/23</u>। पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जमानत दिनांक <u>31/1/23</u> को पेश के</p>	
	31/1/23	<p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जमशारागढ़, जिला-जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अन्तरिम पर एक तरफ पत्रावली/वाद को अन्तरिम करने पर निबन्धी पूर्वानुसार दिनांक <u>25/1/23</u> पेश हुआ</p>	
	9/3/23	<p>पत्रावली के जारी बाद 16/3/23 को 9. वर पेश</p>	

फर्द अहकाम

राजगोपाल बनाम हीरा १२१७

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमशेदपुर जयपुर

केस संख्या 122/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>करने पर पत्रावली भेज दी गई। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा भूल वापस को विज्ञापन के लिए है। प्रार्थी द्वारा भूल वापस को विज्ञापन के परमाणु तक 500 रुपए को मात्र चलाए जाने का कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रार्थी को 500 रुपए को 500 रुपए पर विज्ञापन के खर्च के लिए पत्रावली के तहत 25 रुपए होकर भुगतान के लिए नया वापस इति होकर दाखिल इतर है।</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जमशेदपुर, जिला-जयपुर</p>	